मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 978 /1268/2017/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 17/7/2017

प्रति,

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय, मध्यप्रदेश.

विषय : जिला चिकित्सालयों में पोस्टमार्टम कार्य प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपादित करने के संबंध में ।

-0-0-

वर्तमान में प्रदेश के चिकित्सालयों में पोस्टमार्टम का कार्य प्रात: 8 बजे से सूर्यास्त तक ही किया जाता है । कई बार दुर्घटना में मृतक को देर शाम अस्पताल में लाये जाने के कारण उसी दिन उसका पोस्टमार्टम किया जाना होता है इस कारण मृतक के परिजनों को काफी असुविधा उठानी पड़ती है । अत: इस संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में जहां पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध है, में पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक प्राकृतिक लाईट के समान प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये पोस्टमार्टम कार्य प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपादित किया जाए ।

2. रात्रि 8 बजे तक पोस्टमार्टम कार्य संपादित कराने के लिए सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक स्वयं अधिकृत होंगे तथा इसके लिए यह आवश्यक होगा कि पोस्टमार्टम हेतु शव 2 घंटे पूर्व अस्पताल में लाया गया हो । शाम 6:00 बजे के पश्चात् किये जाने वाले पोस्टमार्टम की जानकारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जिले के कलेक्टर को देना आवश्यक होगा ।

3. शव परीक्षण के दौरान चिकित्सीय आधार पर निम्न परिस्थितियों में सूर्यास्त के पश्चात पोस्टमार्टम किये जाने की बाध्यता नहीं होगी -

- ऐसे मामले जिनमें चोट की गंभीरता एवं चोट भरने के स्तर का आंकलन रंगों के बदलाव के द्वारा किया जाता है ।

अविरत..2

- ऐसे मामले जिनमें चोट की वजह से मृत्यु का कारण एवं मृत्यु के समय का आंकलन किये जाने की आवश्यकता हो ।
- ऐसे मामले जिनमे रंगो का सत्यापन प्राकृतिक प्रकाश में ही संभव है । कातिपय मामलों में त्वचा का रंग गहरा होने पर कृत्रिम प्रकाश में त्वचा में अंदरूनी चोट या खरोंच का विश्लेषण करना संभव नहीं होता है । इस कारण मृत्यु का सही-सही कारण एवं मृत्यु के समय के निर्धारण में त्रुटी की संभावना हो सकती है ।

पत्र क्र 1253 आवक दिनांक 29/7/17 जावक दिनांक 01/08/17

कृपया उपरोक्तानुसार जिला चिकित्सालयों में प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक पोस्टमार्टम की सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करें ।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
28 JUL 2017
1812
आवक क्रमांक

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक 979 /1268/2017/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 17/7/2017

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश । (कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें)
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
8. मिशन संचालक, 8 - किसान भवन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

JD(H)
श्री ...